तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 37/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
19—8—2025	पत्रावली पेश हुई। श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी मयंक बाकलीवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश जी बाकलीवाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स पूर्णिमा डेयरी, E-87 A, अर्बुदा रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड़, जिला— सिरोही, निवासी— अम्बिका कॉलोनी 79, एसबी.आई. बैंक के पास, आबूरोड़, सांतपुर, जिला— सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा, केन्द्रीय दल, आयुक्तालय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, द्वारा दिनांक 12—10—2024 को मैसर्स पूर्णिमा डेयरी, E-87 A, अर्बुदा रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड़, जिला— सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता मयंक बाकलीवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश बाकलीवाल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा डेयरी) का नमूना संख्या S-2509, निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, पूणे के विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र नम्बर RFL/P/DO-33/25/90/2025 दिनांक 22—01—2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रकरण में सुनवाई तिथि 13—8—2025 को प्रतिवादी मयंक बाकलीवाल ने उपस्थित होकर लिखित जबाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि मेरे द्वारा FSSAI ACCREDITED LAB में करवाई जिसकी रिपोर्ट जवाब के साथ संलग्न है। मेरे द्वारा खरीद किया गये घी का यथास्थिति सेम्पल भरा गया है। मेरे द्वारा गलती को सुधार दिया गया है। अतः प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल, आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान, जयपुर, दिनांक 12—10—2024 को खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स पूर्णिमा डेयरी, E-87 A, अर्बुदा रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड़, जिला— सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी मयंक बाकलीवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश बाकलीवाल, निवासी— अम्बिका कॉलोनी 79, एस.बी.आई. बैंक के पास, आबूरोड़, जिला— सिरोही उपस्थित मिले। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल द्वारा मैसर्स पूर्णिमा डेयरी, E-87 A, अर्बुदा रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड़, जिला— सिरोही के निरीक्षण के दौरान पूर्णिमा डेयरी के अन्दर खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा डेयरी) के 500—500 एम. एल. के पैक्ड पैकेट आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए मिले, जिनमें मिलावट का शक होने पर श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना लेने की सूचना गवाह श्री प्रदीपसिंह पुत्र श्री विजयचन्द्र सिंह, निवासी— सांतपुर, आबूरोड़ के	

........लगातार

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही—307001.

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 37/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

समक्ष प्रतिवादी मयंक बाकलीवाल को प्रपत्र 5ए में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल ने मैसर्स पूर्णिमा डेयरी, E-87 A, अर्बुदा रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड़, जिला– सिरोही के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा डेयरी) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड पैकेटों में से खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा डेयरी) के 500–500 एम.एल. के 04 (चार) पैक्ड पैकेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु उक्त गवाह के समक्ष खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 1200/– (अक्षरे रुपये एक हजार दो सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता मयंक बाकलीवाल को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल ने विधिवत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का स्थान, दिनांक, अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-2509, खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा डेयरी) का विवरण अंकित किया एवं प्रत्येक लेबल पर प्रतिवादी विक्रेता मंयक बाकलीवाल व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (पूर्णिमा डेयरी) के 500–500 एम.एल. के चारों पैक्ड पैकेट नमूनों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाकर चारों नमूनों को अलग अलग कागज में लपेट कर चारों नमूना पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकत्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं क्रमांक S-2509 गोंद से चिपकाकर चारों नमूनों को अलग अलग मोटे मजबूत धागें से बांधकर घी (पूर्णिमा डेयरी) के चारों खरीदशुदा नमूनों को नियमानुसार चपडी से सील मोहर कर चारों नमूनों पर प्रतिवादी विक्रेता मयंक बाकलीवाल व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवायें एवं स्वयं श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल ने घी (पूर्णिमा डेयरी) के उक्त चारों नमूनों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता मयंक बाकलीवाल व गवाह तथा श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल ने नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री सिद्धार्थ, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को दिनांक 21–10–2024 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 12–10–2024 को ही शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल, आयुक्तालय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान, जयपुर द्वारा मैसर्स पूर्णिमा

......लगातार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 37/2025**	

डेयरी, E-87 A, अर्बुदा रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता मयंक बाकलीवाल से खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा ब्राण्ड) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड पैकेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा डेयरी) के नमूना संख्या S-2509 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1511/Act/2024/1563 दिनांक 30–10–2024 में खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा डेयरी) का नमूना अमानक (sub-standard) and Contravenes Regulation No.2.3.7(2) पाया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी मयंक बाकलीवाल द्वारा खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा डेयरी) के नमूना संख्या S-2509 के दूसरे भाग की रेफरल लेब से जांच करने हेतु अभिहित अधिकारी को अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) द्वारा खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा डेयरी) के नमूना संख्या S-2509 के द्वितीय भाग को जांच हेतु निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, पूणे को भिजवाया गया। प्रकरण में निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, पूणे से उक्त खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा डेयरी) के नमूना संख्या S-2509 की प्राप्त विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र नम्बर RFL/P/DO-33/25/90/2025 दिनांक 22–01–2025 में खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा डेयरी) का नमूना संख्या S-2509, अमानक (sub-standard) पाया गया। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी मयंक बाकलीवाल, खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स पूर्णिमा डेयरी, E-87 A, अर्बुदा रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड़, जिला– सिरोही द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा डेयरी) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (पूर्णिमा डेयरी) (नमूना संख्या S-2509) के पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी मयंक बाकलीवाल पुत्र ओमप्रकाश बाकलीवाल, निवासी– अम्बिका कॉलोनी 79, एस.बी.आई. बैंक के पास, आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स पूर्णिमा डेयरी, E-87 A, अर्बुदा रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 40,000/– (अक्षरे रुपये चालीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत तथा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को आदेशित किया जाता है कि न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित घी (पूर्णिमा डेयरी) जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर सीज किया गया है उसका नियमानुसार निस्तारण करे। जावे। साथ ही, प्रतिवादी ओमप्रकाश बाकलीवाल को भी आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 26–9–2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)